दिनाँक	**न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 03, अजमेर** **भगवान सिंह पालरिया बनाम जगन व अन्य** **दीवानी अपील संख्या 19/2018** **सीआईएस संख्या 62/2017**	अनुपालना टिप्पणी
07-11-2024	अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। पुनः बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 सपठित धारा 151 सीपीसी पर सुनी गयी, पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया । विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अपीलांट की ओर से इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 अमरचन्द पुत्र स्व. लक्ष्मण का निधन दिनांक 31-08-2023 को हो गया है, प्रत्यर्थी अमरचंद के विरूद्ध अन्य न्यायालय में भी प्रकरण लम्बित है, जिसमें अमरचंद की मृत्यु के पश्चात निर्धारित समयावधि में उसके वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया गया था किन्तु सहवन से उक्त अपील में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं हो सका, जैसे ही यह तथ्य अपीलांट के ध्यान में आया तो उसके द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर उक्त प्रार्थना पत्र मय धारा 5 मियाद अधिनियम का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। प्रार्थी/ अपीलांट के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सहवन से व सद्भाविक रूप से हुआ है जिसे क्षमा किया जाकर उपशमन अपास्त करते हुये प्रत्यर्थी संख्या 2 अमरचंद के वारिसान श्रीमती गीता, महेन्द्र, सुरेन्द्र व कुमारी आशा को रिकॉर्ड पर लिया जावे। अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये- 1. Sanwarmal Saini vs Jugal Kishore Jhunjhunuwala 2020 (1) Civil Court Cases 490 (Raj) 2. Dinesh Chandra Sharma vs Amrat Ram & Anr 2016-17 (Supp.) RRT 618 (Raj) 3. Laxmi Devi vs The Civil Judge (S.D.) Bayana & Ors 2008 (3) RLW 2015 (Raj) इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/प्रत्यर्थी संख्या 5 की ओर से मुख्य रूप से तर्क दिया कि प्रत्यर्थी संख्या 2 अमरचंद की मृत्यु की पूर्ण जानकारी प्रारम्भ से ही अपीलांट को थी और उसके द्वारा अन्य प्रकरणों में आवेदन पत्र भी प्रस्तुत कर दिया गया था। इस प्रकरण में उसके द्वारा जानबूझकर विलम्ब से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है और जो कारण विलम्ब के सम्बंध में दर्शित किया है वह सारभूत कारण नहीं है क्योंकि सहवन से आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकना किसी सारभूत कारण की श्रेणी में नहीं आता है,	

	ऐसी स्थिति में प्रार्थी की प्रत्यर्थी संख्या 2 के विरूद्ध अपील अबेट हो चुकी है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि प्रार्थी स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आया है और प्रार्थना पत्र सद्भाविक रूप से पेश नहीं किया है । अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे । उभय पक्षों को सुना, पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर आदेश पारित करने में मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 अमरचन्द के विरूद्ध अन्य प्रकरणों में निर्धारित समयावधि में उसके द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया गया किन्तु सहवन से उक्त अपील में आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका और इसकी जानकारी होते ही अविलम्ब अधिवक्ता से सम्पर्क कर उक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया । प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के तहत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि तकनीकी आधारों पर किसी पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता तथा आदेश 22 नियम 4 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों में हुये विलम्ब को क्षमा किये जाने में नरमी का रूख अपनाया जावे । चूंकि प्रार्थी/अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विलम्ब से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के सम्बंध में दर्शित कारण सद्भाविक प्रतीत होता है । ऐसी अवस्था में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 22 नियम 4 व 9 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रत्यर्थी संख्या 2 अमरचंद के वारिसान के रूप में 2/1 श्रीमती गीता देवी, 2/2 महेन्द्र, 2/3 सुरेन्द्र व 2/4 कुमारी आशा को बतौर विधिक प्रतिनिधि संयोजित किये जाने का आदेश प्रदान किया जाता है तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 अमरचन्द के नाम के सम्मुख मृतक शब्द अंकित किया जावे। संशोधित शीर्षक पेश हो, पत्रावली वास्ते बहस अपील व पेश होने संशोधित शीर्षक हेतु दिनांक 04-12-2024 को पेश हो । **(अमर वर्मा)** **अपर जिला न्यायाधीश संख्या-3 , अजमेर**	